

उत्तराखण्ड शासन

वित्त विभाग

सं० /XXVII(8)/ वाणि० कर (वैट) / 2007
दिनांक: देहरादून: फरवरी २१, / 2008

अधिसूचना

चौके राज्य सरकार का रामाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है:-

अतएव, अब, उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड गूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुचूलन एवं उपन्तरण आदेश, 2007 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005) की धास 4 की उपधारा (4), संगठित उत्तरप्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1, वर्ष 1904) (समय-समय पर यथा संशोधित तथा उत्तराखण्ड राज्य में यथा अवृत्त) की वारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अधिसूचना संख्या 237 / XXVII(8)/ वाणि० कर (वैट) / 2006 दिनांक 3 मई, 2007 में निम्नलिखित आधिकारिक संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

संशोधन

“अनुसूची-I के क्रमांक 44 की प्रविधि में कन संख्या (4) पर उल्लिखित शब्दावली “एन०पी०के० (15:5:15)” के स्थान पर शब्दावली “एन०पी०के० (15:15:15)” रख दी जायेगी।”

(आलोक चूमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

सं० ५५ / XXVII(8)/ वाणिज्य कर(वैट) / 2007 तदुदिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, लड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियों इस अनुसंधान सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250-250 प्रतियों वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3-गार्ड फाईल हेतु।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करें।
अनुभाग
आवश्यक करने का करना।
अपर अधिकारी करना।
उत्तराखण्ड, देहरादून।

४४५।

२३-२-०८

आज्ञा से,
(सी०एस०रामवाला)
आम सचिव, वित्त।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 144 /XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/ 2007 dated 21, February, 2008 for general information.

Government of Uttarakhand

VITTA VIBHAG

NO.144 /XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/2007

Dehradun :: Dated 21 February, 2008

Notification


WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order 2007 (Act No. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (Act no. 1 of 1904) (as amended from time to time and as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor, is pleased to make, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, the following partial amendment in Notification No. 237/XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/2006 dated 3 May, 2007-

Amendment

"In the entry at Sl. No. 44 of Schedule-I; for the words "N.P.K. (15:5:15)", mentioned at serial number (4) therein, the words "N.P.K. (15:15:15)" shall be substituted."

By Order,


(ALOK KUMAR JAIN)

PRINCIPAL SECRETARY, FINANCE